

न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

मु.न.	दायर दिनांक	अ. धा.	निर्णय दिनांक
40/2017	29.08.2017	91 एल.आर.एक्ट	27.09.2017

सरकार बनाम फताराम पु० रामनाथ जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा

27.09.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अतिकमी अनुपस्थित । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का मण्डावरा नें सम्वत 2074 में इस आश्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम मण्डावरा की भूमि ख०न० 289 रकबा 0.50 है० किस्म बंजड़-2 में से रकबा 0.50 है० व 290 रकबा 0.67 है० किस्म बंजड़-1 में से 0.67 है० पर फताराम पु० रामनाथ जाति गुर्जर निवासी मण्डावरा नें बाड़ लगाकर अवैध अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मण्डावरा के आधार पर प्रकरण रा० लैण्ड रेवन्चु एक्ट 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अतिक्रमीगण को जरिये सम्मन नोटिस अ० धा० 91 एल.आर.एक्ट के तहत तलबी सम्मन नोटिस जारी की गये ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का मण्डावरा एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतिक्रमीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध हैचूकी भूमि किस्म बंजड़-2 व बंजड़-1 हैं, अवैध एवं नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण अतिक्रमीगण द्वारा किया गया अतिक्रमण प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार लगातार कब्जा साबित नहीं होने के कारण नियमन की तारीफ में नहीं आता है। अतः अतिक्रमीगण को रा० लैण्ड रेवन्चु एक्ट 1956 की धारा 91के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा जेर बहस रिपोर्ट पटवारी हल्का /भू०अ०निरीक्षक को अतिक्रमी को मौके से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा पटवारी हल्का/भू०अ०नि० को लिखा जावे की अतिक्रमीगण को अतिक्रमण शुदा रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें। आदेश बेदखली पारीत होने पर पृथक से इजराई रजिस्टर में पत्रावली दर्ज की जाकर भौतिक बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर दर्ज करें ।

अतिक्रमीगण द्वारा बंजड़-2 व बंजड़-1 भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.30 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 65/- अक्षरे पैसठ रूपये मात्र बतौर शास्ती पैलन्टी जुर्माना आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को जमा कायमी वसुली तथा बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दर्ज फैसल होकर नम्बर शुमार से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता कार्यवाही संग्रह भण्डार हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण करवाया जाकर आज दिनांक 27.09.2017 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।

जस्टिस व २५ २५१-१८
 ६५
 की कायमी की नई
 रावस विवाहा

(३)
 तहसीलदार
 उदयपुरवाटी